न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 14/2016 **दायर दिनांकः 04.02.2016**

उनवान

1. चन्द्रसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डेंगनी जागीर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) हाल मुकाम कृष्ण विहार कॉलोनी कन्सुआ कोटा (राज)
2. सूरजसिंह आयु 63 वर्ष पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डेंगनी जागीर
3. प्रहलाद सिंह आयु 60 वर्ष पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डेंगनी जागीर
4. नन्दकंवर आयु 65 वर्ष पुत्री भंवरसिंह पत्नि डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासीं डेंगनी जागीर
5. बदनकंवर आयु 62 वर्ष पुत्री भंवरसिंह पत्नि बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी डेंगनी जागीर
6. भंवर बाई आयु 50 वर्ष भंवरसिंह पत्नि गुलाबसिंह जालि राजपूत निवासी डेंगनी जागीर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीशसिंह आयु 58 वर्ष पुत्र खुमानसिहं जाति राजपूत निवासी डेंगनी जागीर
2. खुमानसिंह आयु 75 वर्ष पुत्र देवसिंह जाति राजपूत निवासी डेंगनी जागीर तहसील अटरू जिला बारां (रज०)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीजदार साहब अरू तहसील अरू जिला बारं (राज०)

अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 आर0टी0एक्ट

वाद बाबत् बैदखली एवं प्राप्ति कब्जा व निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री [illegible]

अप्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:08:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 21.01.2021

पत्रावली पेश हुई, [illegible] उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है प्रार्थीगण ने उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। जिसमे प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा हैं। प्रार्थीगण के खाते की

खाता संख्या 21 का ख०नं 140 का रकबा 1.50 है० आराजी ग्राम व माल डेंगनी जागीर पटवार हल्का मूण्डला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में स्थित हैं। जमाबन्दी मुताबिक सम्वत् 2070 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। जिसके एक मात्र खातेदार प्रार्थीगण हैं। उक्त आराजी को प्रार्थीगण मुनाफा काश्त से जुपाते चले आ रहे है व मुनाफे काश्त की रकम प्राप्त करते आ रहे हैं। गतवर्ष प्रार्थीगण ने सन 2014 से मार्च 2015 तक एक वर्ष के लिए अप्रार्थीगण को मुनाफा काश्त से जुपाई थी। उसमें फसल कटने के बाद प्रार्थीगण जब उक्त आराजी पर खरार करने गये तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के ट्रेक्टर के सामने आ गये व प्रार्थीगण को जमीन नही हाकने दी व मारपीट पर आमादा हुये तथा मां बहीन की गालिया दी। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीगण ने थाना अटरू पर गये तो उन्होने प्रार्थीगण की कोई रिपोर्ट दर्ज नही की व अप्रार्थीगण से मिलकर प्रार्थीगण की जमीन पर अप्रार्थीगण का कब्जा करा दिया। प्रार्थी क्रम ने फिर दिनांक 04.05.2015 को एक इस्तगासा माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहर अटरू में पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। प्रार्थीगण उक्त आराजी के एक मात्र खातेदार कृषक है किन्तु प्रार्थीगण शान्तिप्रिय नागरिक होने से व कोटा निवास करने से अप्रार्थीगण ने अपपनी शक्ति व पैसे का लाभ उठाकर प्रार्थीगण की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया हैं। जिसे प्रार्थीगण अपनी आराजी से अप्रार्थी क्रम व 2 को बैदखल करा कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो बिना न्यायालय की सहायत के सम्भव प्रतित नही हो रहा हैं। प्रार्थीगण खातेदार कृषक है तथा उनकी भूमि पर अप्रार्थीगणो का अवैधानिक क्जा होने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही हैं। जिसकी पूर्ति अन्यथा सम्भव नही हैं। अस्तु प्रार्थीगण ताफैसलावाद प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी पर तहसीलदार अटरू को रिसिवर नियुक्त करवाने गके अधिकारी हैं। विकल्प में 5000 रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण खातेदार कृषक हैं तथा उनके पक्ष में निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है। सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:08:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी पर ताफैसलावाद तहसीलदार अटरू को रिसिवर नियुक्त किया जाने के आदेश प्रदान करने की कृषा करें। विकल्प में ताफैसलावाद 5000 रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को दिलाये जाने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई, अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वाद पेश करना स्वीकार है। शेष विवरण स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 स्वीकार नहीं है। अपितु कथन है कि तहसील अटरू में डेंगना जागीर नाम का कोई गांव व माल नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 स्वीकार नही है। अपितु कथन है कि उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कमी भी कोई कब्जा नहीं रहा और प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की मद नं0 में वर्णित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 2 खुमान सिंह लगभीग 35 वर्षों से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है अपितु कथन है कि सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रथम दृश्टता केस अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के पक्ष में क्योंकि प्रार्थीगण के पिता भंवरसिंह ग्राम बड़ोदा जिला श्योपुर (म.प्र.) के निवासी है। प्रार्थीगण ने कभी भी ग्राम देंगनी जागीर तह0 अटरू के निवासी नहीं रहे और न ही प्रार्थीगण ग्राम देंगनी जागीर तह0 अटरू जिला बारां राजस्थान के निवासी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 का जवाब व वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें। प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार नहीं है।

—::विशेष कथन मय प्रति प्रार्थना पत्र::—

प्रार्थीगण ग्राम डेंगनी जागीर तहसील अटरू के निवासी नहीं है। और न ही प्रार्थीगण ने कभी ग्राम देंगनी जागीर में निवास किया है। प्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को मुनाफा काश्त पर नहीं जुताया है और न ही स्वंय काश्त की है। उक्त आराजी पर लगभग 35 वर्षों से निर्बाध ,बेरोकटी अप्रार्थी क्रम 2 खुमानसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी आज से लगभग 38 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण के पिता भंवरसिंह अपने रिश्तेदारों के यहां ग्राम देंगनी आया था उस समय अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा मेहनत करके काश्त लायक बनाया था और उक्त आराजी पर तब से ही अप्रार्थी क्रम 2 खुमानसिंह ही काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थीगण के पिता भंवरसिंह के आराजी खाते दर्ज होने से दिनांक 22.5.1982 को प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को गवाहन विक्रमसिंह , रामसिंह व संग्रामसिंह हाड़ा ग्राम देंगनी जागीर के समक्ष 4500/— रूपये में बेचान अप्रार्थी क्रम 2 को कर दी थी। उसके पूर्व से ही आज दिन तक अप्रार्थी क्रम 2 ही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। भंवरसिंह की उक्त आराजी को बेचान करने के बाद मृत्यु हो गई थी तो अप्रार्थी क्रम 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:08:47 IST
Reason: SelfAttested

ने प्रार्थीगण की मां से उक्त आराजी की रजिस्ट्री अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में करवाने का निवेदन किया तो प्रार्थीगण टालमटोल करते रहे और कहा कि कब्जा तो आपका ही चल रहा है। जब हमें समय मिलेगा, रजिस्ट्री करवा देगें। लेकिन प्रार्थीगण की मां का देहान्त हो जाने के बाद प्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ जाने से वे उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम खाते दर्ज होने से झूठे तथ्यों पर उनने वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और अप्रार्थी क्रम 2 ही लगभग 35 वर्षो से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। इसलिये अप्रार्थी क्रम 2 लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर बाई ओफरेशन ओफ लॉ एडवर्स पजेशन के आधार पर अप्रार्थी क्रम 2 को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये अप्रार्थी क्रम 2 उक्त आराजी पर खातेदार कृषक घोषित होकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि जवाब प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 अस्वीकार है। अपितु प्रार्थना पत्र का विवरण सही एंव सत्य है। प्रति प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 अम्वीकार हैं। देगनी व डेगनी जागीर एक ही गाँव है। उसे नकारा नही जा सकता। बोलचाल की भाषा मे डेगनी ही बोला जाता है। उसे ड को द भी पडाजा सकता है। प्रति प्रार्थना पत्र की मद नं० 3 अस्वीकार हैं। बल्कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मद नं० 3 सही लिखी हुई हैं। प्रति प्रार्थना पत्र की मद नं० 4 अस्वीकार हैं। बल्कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 4 सही है व सच है। माननीय न्यायालय एसीजेएम साहब अटरू ने 447 भा०द०स० में अप्रार्थीगण के विरद्ध प्रसज्ञान लिया गया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य है। तथा प्रार्थी खातेदार कृषक है उसे अपनी जमीन पर कब्जा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार हैं। तथा अप्रार्थीगणो को बेदखल करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं० 6 सही हैं प्रार्थी को अपनी खाते की आराजी का कज्जा प्राप्त करना मुआवजा प्राप्त करने व तकसीला वाद रिसिवर वराने का अधिकार प्राप्त है। जवाब प्रार्थना पत्र की मद नं० 7 अस्वीकर है। अपितु प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा अप्रार्थी ने झूढे तथ्यो के आधार पर झुठा विवरण पेश किया है। जिससे प्रार्थी खातेदार के अधिकार प्रभावित नही होते है। जवाब प्रार्थना पत्र की मद नं० ह अस्वीकार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:08:47 IST
Reason: SelfAttested

—::जवाब उल जवाब विशेष कथन प्रति प्रार्थना पत्र::—

प्रति प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 अस्वीकार हैं। अप्रार्थी अवेधानिक कब्जा करना चाहते हैं। जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रति प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 भनघडन्त व झुठी है। प्रार्थीगण की जमीन प्रार्थीगण ही करते आ रहे हैं। व मुनाफे काश्त से जुताते थें। किन्तु अप्रार्थीगण की नियत मे बेईमानी आ गई हैं। झूठे तथ्यो से प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हे बेदखल किया जाना आवश्यक हैं। प्रति प्रार्थना पत्र की मद नं० 3 गलत लिखी है झूठे तथ्य पेश करने से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होता हैं। प्रार्थीगण का कोई प्रतिवर्ती कब्जा नही रहा हैं। एक तरफ अप्रार्थी खरीदना बताता है दूसरी तरफ प्रति वर्ती कब्जा खरीद का दस्तावेज भी पूर्ण रूप से फर्जी व अनरजिस्टर्ड हैं। जो साक्षय में पडा जाने योग्य नही हैं। उसमे अप्रार्थीगण को कोई टाईटल प्राप्त नही होता है।

अतः श्रीमान की सेवा में जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफेसलावाद प्रार्थी की जमीन की रिसिवरी नियुक्त किया जावे या 5000 रूपये प्रति बीघा अप्रार्थीगण से प्रार्थी को दिलाया जाने के आदेश। प्रदान करें। तथा तहसीलदार अटरू को रिसिवर नियुक्त किया जावें ताकि प्रार्थी वादी को हो रही आर्थिक क्षति से राहत पहुंचाई जा सके।

अभिभाषकगण की बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जिसको मुनाफे पर जुपाते थे लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया व लडाई झगडे पर उतारू है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा सम्भलाया जावें, या विवादित भूमि को रिसीवरी में लेकर तहसीलदार अटरू को ताफैसलावाद रिसीवर नियुक्त किया जावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता भंवरसिंह के खाते दर्ज थी जो दिनांक 22.05.1982 को गवाहान के समक्ष बैचान अप्रार्थी क्रम 2 को कर दी तब से उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का प्रार्थना पत्र खारिज फरवावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:08:47 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषकगण को सूची पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ग्राम देंगनी जागीर खाता संख्या 21 ख0नं0 140 रकबा 1.50 है0 भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को मुनाफे पर जुपाते थे, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर लेना बताया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि 22.05.1982 को प्रार्थीगण के पिता भंवरसिंह से क्रय करना

बताया गया लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा क्रय करने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किये, केवल भूमि पर 35 वर्षो से कब्जा होना बताया गया है। कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज नही किया जा सकता प्रार्थीगण खातेदार कृषक है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। खातेदार काश्तकार के हितों को सुरक्षित करने के लिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण होने तक विवादित आराजी ग्राम देंगनी जागीर की खाता संख्या 21 ख0नं0 140 रकबा 1.50 है0 भूमि पर 5000 रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष की क्षतिपूर्ति राशि (अमानत) जमा कराने पर काश्त करें, उक्त अमानत राशि तहसीलदार अटरू के कार्यालय में प्रतिवर्ष माह मई अन्त तक जमा करावें, राशि जमा नही कराने पर तहसीलदार अटरू को उक्त भूमि पर रिसिवर नियुक्त किया जावेगा। तहसीलदार अटरू नियमानुसार राशि जमा करे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 14:08:47 IST
Reason: SelfAttested